भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **236** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **03 फरवरी**, 2023/14 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है

नवीनतम गाद निकासी रणनीतियां

†236. **श्री वाई. देवेन्द्रप्पा :**

डॉ. संजीव कुमार शिंगरी :

श्री अरुण साव :

श्री देवजी पटेल :

श्री कुरुवा गोरांतला माधव :

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर :

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे :

श्री विजय बघेल :

श्री मोहन मंडावी :

श्री एस. सी. उदासी :

श्री दिलीप शइकिया :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा देश में अनुरक्षित अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास इन जलमार्गों की नियमित गाद निकासी और रख-रखाव के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है और बंदरगाहों की सभी गाद निकासी क्रियाकलापों को करने के लिए उन्नत गाद निकासी कार्यनीतियां अपनाई जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कोई गाद निकासी नीति तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सभी जलमार्गों में सुगम नौकायन के लिए 2.5 मीटर का न्यूनतम ड्राफ्ट बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): 111 राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) की कुल लंबाई 20162.5 कि.मी. है जिसमें से 18 राष्ट्रीय जलमार्गों की 4193 कि.मी. लंबाई को वर्तमान में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा विकास और रख-रखाव कार्यों के लिए हाथ में लिया गया है।

(ख): भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) 30 मी. से 45 मी. चौड़े और 1.2 मी. से 3 मी. गहराई वाले नौचालन चैनलों को विकसित करने के लिए चुनिंदा राष्ट्रीय जलमार्गों में रख-रखाव ड्रेजिंग का कार्य करता है जिनमें नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान अपेक्षाकृत कम गहराई रिकॉर्ड की जाती है। इस कार्य को आवश्यकता के आधार पर कटर सक्शन, बैक्हो अथवा वॉटर जेट ड्रेजरों जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकीयों के माध्यम से किया जाता है।

(ग): आईडब्ल्यूएआई द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों हेतु ड्राफ्ट ड्रेजिंग संबंधी दिशा-निर्देश, पत्तन प्राधिकरणों/ मैरीटाइम बोर्डों के साथ परामर्श करके तैयार किए गए हैं।

(घ): राष्ट्रीय जलमार्गों को जलयानों की 100 टन से 2000 टन की वहन क्षमता के अनुसार VII श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और आईडब्ल्यूएआई द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों के विभिन्न जलखंडों में 1.2 मी. से 3 मी. की गहराई बनाई रखी जाती है।

****